

भुगतान एग्रीगेटर के रूप में PayU को मंजूरी

स्रोत: बज़िनस स्टैंडर्ड

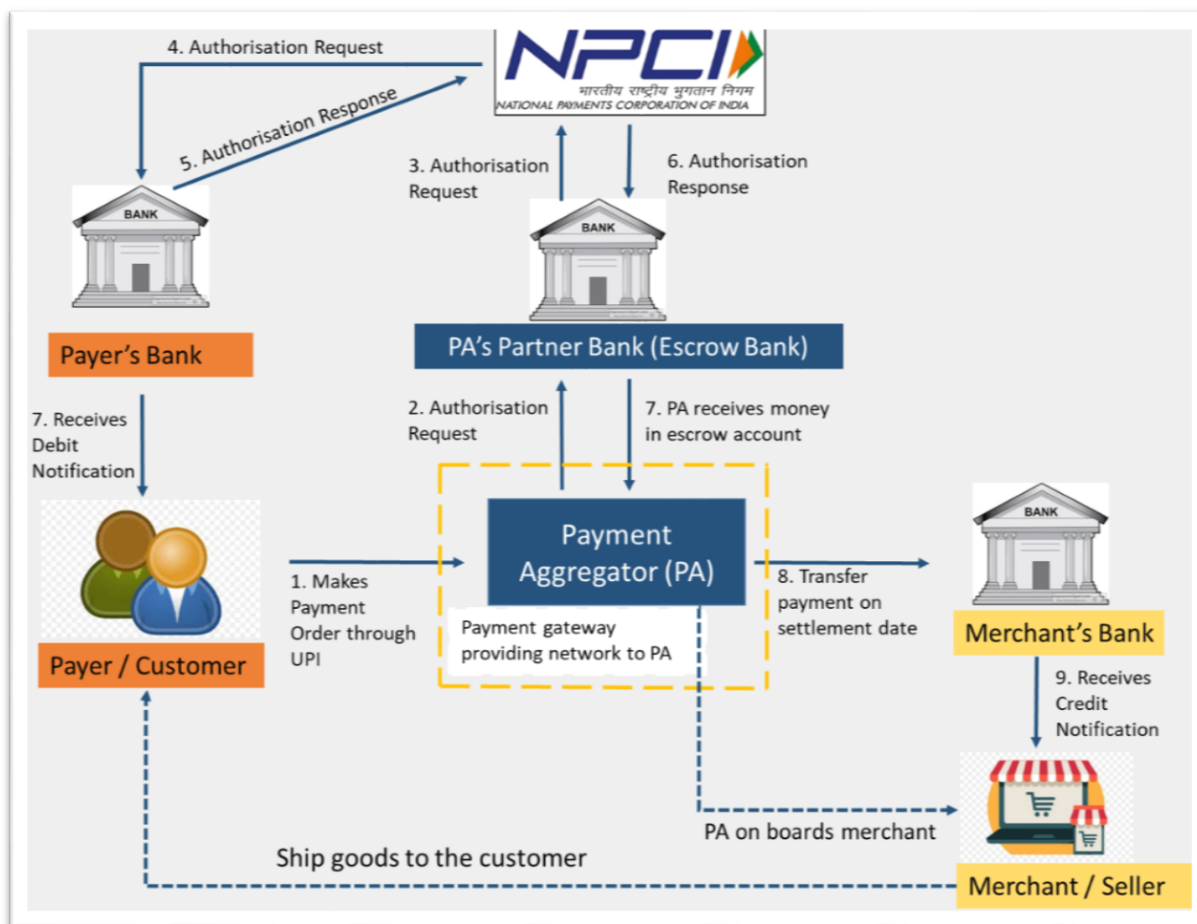
चर्चा में क्यों?

फनिकेक फर्म PayU ने हाल ही में घोषणा की है कि उसे भुगतान एवं नपिटान प्रणाली (Payment and Settlement System- PSS) अधिनियम, 2007 के तहत भुगतान एग्रीगेटर (Payment Aggregator- PA) के रूप में कार्य करने के लिये भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।

- **RBI से सैद्धांतिक मंजूरी** PayU को नए व्यापारियों को शामिल करने की अनुमति देती है, फरि भी अंतमि मंजूरी में आमतौर पर छह माह से एक वर्ष तक का समय लगता है।

भुगतान एग्रीगेटर क्या होता है?

- **परचिय:**
 - PA व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, व्यापारियों की ओर से भुगतान की प्रक्रिया को भी संभालता है।
 - एक PA व्यवसायों के लिये इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है।
 - PA भुगतान स्वीकृति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हैं, जिससे व्यवसायों को वित्तीय संस्थाओं के साथ सीधे संबंध स्थापित करने की जटिलताओं से बचने की अनुमति मिलती है।
 - वे व्यवसायों को एक ही मंच के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट और बैंक अंतरण सहित विभिन्न भुगतान वधियों को स्वीकार करने में सक्षम बनाते हैं।
 - PA के कुछ उदाहरणों में Google Pay, Amazon Pay, Phone pe और PayPal आदि शामिल हैं।
- **पूँजी आवश्यकताएँ:**
 - नए PA के पास आवेदन के समय न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 15 करोड़ रुपए होनी चाहिये और प्राधिकरण के बाद तीसरे वित्तीय वर्ष के अंत तक 25 करोड़ रुपए तक पहुँचनी चाहिये।
- **प्राधिकरण प्रक्रिया:**
 - जबकि बैंक अपने सामान्य बैंकिंग संबंधों के भाग के रूप में PA सेवाएँ प्रदान करते हैं और उन्हें अलग से प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है, गैर-बैंक PA को भुगतान एवं नपिटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS) के तहत RBI से प्राधिकरण प्राप्त करना होगा।
- **नपिटान और नलिंब (escrow) खाता प्रबंधन:**
 - गैर-बैंक PA को एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के नलिंब खाते में एकत्रित धन को बनाए रखना अनिवार्य है।
 - PA को लेनदेन के चक्र और सहमत शर्तों के आधार पर व्यापारियों के साथ वित्त के नपिटान के लिये विशिष्ट समयसीमा का पालन करना होगा।



नोट:

- PA के वपिरीत, **भुगतान गेटवे (PG)** वतित को संभाले बनिा ऑनलाइन भुगतान लेनदेन का आदान- प्रदान करने और प्रक्रिया की सुवधि प्रदान करने के लयि प्रौद्योगिकी बुनयिदी ढाँचा प्रदान करते हैं।
 - दूसरी ओर, भुगतान एग्रीगेटर व्यापारियों को भुगतान गेटवे की कार्यक्षमता को कवर करते हुए, अपने पोर्टल पर कई भुगतान वकिल्प रखने की अनुमतदिते हैं।

वतिरण का आधार	भुगतान गेटवे	भुगतान एग्रीगेटर
भूमिका	व्यापारी तथा बैंक के मध्य कार्य करने वाला नेटवर्क।	शुरू से अंत तक भुगतान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थिति करने का एक समाधान।
भुगतान वकिल्प	प्राथमिक रूप से डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान।	कई वकिल्प प्रदान करता है: UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि।
एकीकरण	व्यापारी प्रत्येक भुगतान पद्धति अथवा बैंक को अलग-अलग एकीकृत करते हैं।	एकीकरण हेतु केवल एक सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी की आवश्यकता होती है।
उपलब्ध सेवाएँ	लेन-देन प्रसंस्करण सेवाएँ।	रिपोर्ट, ग्राहक सहायता इत्यादितिक पहुँच जैसी अतिरिक्त सेवाओं के साथ-साथ लेन-देन प्रसंस्करण प्रदान करता है।
वति प्रबंधन	वति का संचय नहीं करता; एन्क्रिप्टेड भुगतान डेटा सुरक्षिति रूप से संचारित करता है।	वतितीय लेन-देन के लयि व्यापारी पहचान संख्या (MID) का उपयोग करता है। ये ऐसे लेनदेन होते हैं जो एग्रीगेटर की प्रणाली द्वारा नियंत्रित कयि जाते हैं।
उदाहरण	एक्ससि बैंक, एचडीएफसी बैंक, MPGS (मास्टरकार्ड भुगतान गेटवे)।	PhonePe PG, स्ट्राइप, कैशफ्री।

भुगतान और नपिटान प्रणाली (PSS) अधनियिम, 2007:

- PSS अधिनियम, 2007, भारत में भुगतान प्रणालियों के वनियमन एवं पर्यवेक्षण का प्रावधान करता है और साथ ही RBI को सभी संबंधित मामलों के लिये प्राधिकरण के रूप में नामित करता है।
- इस अधिनियम के तहत **रज़िर्व बैंक को अपने केंद्रीय बोर्ड की एक समिति का गठन करने के लिये अधिकृत** किया गया है, जसि **भुगतान और नपिटान प्रणाली (BPSS)** के वनियमन एवं पर्यवेक्षण हेतु एक बोर्ड के रूप में जाना जाता है, ताकविह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सके तथा इस कानून के तहत अपने कार्यों एवं कर्तव्यों का नरिवहन कर सके।
- **PSS अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अनुसार केवल रज़िर्व बैंक ही भुगतान प्रणाली के संचालन को अधिकृत** कर सकता है। भुगतान प्रणाली संचालित करने के इच्छुक कसि भी वयक्त को **PSS अधिनियम, 2007 की धारा 5** के तहत प्राधिकरण के लिये आवेदन करना होगा।
- PSS अधिनियम 2007 वदिशी संस्थाओं को **भारत में भुगतान प्रणाली संचालन को प्रतबिधति नहीं** करता है। यह **अधिनियम वदिशी एवं घरेलू संस्थाओं के बीच भेदभाव नहीं** करता है।
- प्राधिकरण के बनिा भुगतान प्रणाली का संचालन, रज़िर्व बैंक के नरिदेशों का अनुपालन न करना अथवा PSS अधिनियम, 2007 के कसि भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर रज़िर्व बैंक द्वारा आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।

?????????:

1. भीम (BHIM) ऐप उपयोग करने वालों के लिये यह एप U.P.I. सक्षम बैंक खाते से किसी को धन अंतरण करना संभव बनाता है।
2. जहाँ एक चपि-पनि डेबिट कार्ड में परमाणीकरण के चार घटक होते हैं, BHIM एप में परमाणीकरण के सरिफ दो घटक होते हैं।

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन 'एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)' को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? (2017)

परश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

